न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 14 / 2019
निर्णय दिनांक :31.05.2019

1. श्री सीको प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि रामस्वरूप गौड़ पुत्र श्री मदनलाल गौड़ उम्र 60 वर्ष निवासी– ई–89, लालबहादुर नगर, इन्कमटैक्स कॉलानी, 4 एक्सटेन्शन, जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि साबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजड वाके ग्राम दुर्गापुरा पटवार क्षेत्र दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम से अंकित थी। उक्त साबिक भूमि से बने हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 0.08 व खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर हैं जो राजस्थान राज्य औधोगिक एवं खनिज विकास निगम लि0 जयपुर के नाम से अंकित है। तथा प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि लीज ऐग्रीमेन्ट के द्वारा खसरा नम्बर 128 एवं 129 दिनांक 31.07.2004 ले रखा है। तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता रहा। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 136, रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजड वाके ग्राम दुर्गापुरा, पटवार क्षेत्र दुर्गापुरा तहसील सांगानेर में स्थित हैं उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 0.08 व खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर हैं। जिसकी किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. नाला अंकित कर दी गई जो गलत है। साबिक आराजी कृषि भूमि 136 से बने हाल खसरा नम्बर 128 हाल जमाबन्दी में बंजड की जगह गै0मु0 नाला अंकित कर दिया गया। जो गलत है। क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 136 की किस्म बंजड राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी इस कारण साबिक खसरा नम्बर 136 से बने हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 है0 का किस्म गै0मु0 नाला न होकर बंजड़ है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है। दौराने सेटलमेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिकॉर्ड ऑफ राईटस में फेरबदल करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। उन्होंने अपने अधिकारिता से बाहर जाकर किस्म बंजड से गै.मु. नाला अंकित किया है जो गैर कानूनी है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती के अप्रार्थी के यहां पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा की इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिये श्रीमान न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक 1735 दिनांक

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

21.05.2019 में अंकित किया है कि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संख्या 2015–34 के खाता संख्या 39 ग्राम दुर्गापुरा में खसरा नम्बर 136 रकबा 1.10 बीघा गै0मु0 रास्ता दर्ज है। सम्वत् 2023 की जमाबन्दी में भी खसरा नम्बर 136 रकबा 1.10 बीघा गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 136 के वर्तमान खसरा नम्बर 128 व 142 बने है। वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 0.08 गैमु रास्ता जमाबन्दी संख्या 2072–75 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 है0 गैमु नाला संख्या 2072–75 की जमाबन्दी में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि0 जयपुर के नाम दर्ज है। लीज एग्रीमेंट के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नही है। गत खसरा नम्बर 136 रकबा 1.10 बीघा को किस्म बजंड़ दर्ज नही रही है। गत खसरा नम्बर 136 के नवीन खसरा नम्बर 142 रकबा 0.08 की किस्म पूर्ववत गै.मु. रास्ता ही दर्ज है। तथा वर्तमान खसरा नम्बर 128 की किस्म गै.मु. नाला वर्तमान में दर्ज है जबकि पूर्ववत किस्म गै.मु. रास्ता ही दर्ज होनी चाहिये था। बिन्दु संख्या 3 वादी का कथन आंशिक स्वीकार किया है। गत खसरा नम्बर 136 के नवीन खसरा नम्बर 128 की किस्म गै.मु. रास्ता की बजाय गै.मु. नाला दर्ज की गई है। खसरा नम्बर 136 (गत) की किस्म बजंड कभी सही नही है। बिन्दु संख्या 4 में बाताया कि खसरा नम्बर 136 की किस्म गै.मु. रास्ता थी। तदनानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 128 की किस्म भी गै.मु. रास्ता दर्ज होनी चाहिये थी। गत खसरा नम्बर 136 की किस्म बजंड दर्ज नहीं रही है।

गत खसरा नम्बर 136 रकबा 1.10 बीघा की किस्म गै.मु. रास्ता सं.2015–34 में दर्ज थी। वर्तमान खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 की किस्म गै.मु. नाला अंकित की गई है जो दुरूस्तनीय है लेकिन वर्तमान खसरा नम्बर 128 की किस्म बजंड दर्ज किया जाना उचित नही है।

हमने बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाने पर पाया कि विवादित आराजीयात साबिका खसरा नम्बर 136 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 हैक्टेयर जिसकी किस्म हाल जमाबन्दी में गै.मु. नाला अंकित कर दी गई है, जिसकी किस्म पूर्ववत गै0मु0 रास्ता ही दर्ज है। को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम दुर्गापुरा, पटवार हल्का दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 136 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 हैक्टेयर जिसकी किस्म हाल जमाबन्दी में गै.मु. नाला के स्थान पर गै. मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner